कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल सा० रीवा (म.प्र.)

जयन्ती कुंज, झिरिया, रीवा E-Mail- dfot.rwa@mp.gov.in , Phone- 07662- 299135



क्रमांक / मा.चि. / <u>८५०५</u> प्रति. रीवा, दिनांक \......05.2025

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) वन भवन तुलसी नगर भोपाल (म.प्र.)

विषय:— वन मण्डल रीवा के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 334 के रकवा 4.59 हेक्टेयर वनभूमि में सेंड पत्थर (क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के हेतु आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स हुड्डा भिवानी हरियाणा को उपयोग पर देने बावत् ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP / MP / MIN / 152432 / 2022

संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्रमांक / एफ-1 / 835 / 2022 / 10-11 / 1093 दिनांक 03.04.2025

2. श्री ललित पंघाल प्रोपराइटर स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन हाउस का आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त दिनांक 15.05.2025

---00---

विषयांतर्गत अनुरोध है कि संदर्भित पत्र से प्रकरण के संबंध बिन्दुवार जानकारी चाही गई है; जिसमें आवेदक संस्थान द्वारा उक्त बिन्दुओं की जानकारी तैयार कर इस कार्यालय की ओर प्रेषित किया गया है जो निम्नानुसार हैं:—

	प्रापत किया गया है जो निस्तानुसार है :-		
क्र.	चाही गई जानकारी	उत्तर	
1	The proposal was discussed in the REC meeting of RO, Bhopal held on dated 11.12.2023 wherein it has been observed that the actual area of diversion is 4.633 ha instead of the proposed 4.59 ha, as the area for mining is 4.59 ha including safety zone and the area for approach road is 0.0436 ha and the State Govt. was requested that correct KML file of 4.633 ha shall be uploaded showing diversion area, safety zone area approach road and accordingly necessary corrections in online Part I and II are also required to be done. In this reference, the Govt. of Madhya Pradesh vide letter dated 23.01.2025 has informed that the needful has been done. However necessary corrections in online Part I and II has not been carried out. Therefore the State Govt. is again requested to carry out the necessary corrections in online Part I and II.	आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया गया है कि ऑन लाइन फारेस्ट परिवेश पोर्टल ऑनलाइन भाग 01 में संशोधित के.एम.एल. फाइल सुधार कर अपलोड कर दी गई है।	
2	The proposal was discussed in the REC meeting of RO, Bhopal held on dated 11.12.2023 wherein it has been observed that in view of the change in area proposed for diversion, the non forest CA area is also required to be provided for 4.633 ha, hence accordingly the plantation scheme along with other related documents such as maps, CA KML file of 4.633 ha proposed on non forest land shall be submitted/uploaded. In this reference, the Govt. of Madhya Pradesh vide letter dated 23.01.2025 has informed that the needful has been done. However as per DSS analysis the calculated area of KML file of Non-Forest land proposed for CA is found be 4.59 Ha instead of 4.633 ha and moreover the plantation scheme along with other related documents such as maps, CA KML file of 4.633 ha proposed on non forest land has not been submitted/uploaded which needs submission.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की जानकारी के.एम.एल. फाइल, जियो रिफरेंश मैप सहित अभिलेख वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सागर द्वारा तैयार किया गया है एवं संबंधित अभिलेख ऑन लाइन फारेस्ट परिवेश पोर्टल में अपलोड़ की जा चुकी है।	
3	The State Govt. shall clarify whether the Letter of intent (Loi) issued by the Mineral Resource Department, Govt. of Madhya Pradesh is still valid as on date or otherwise.	कलेक्टर खनिज शाखा जिला रीवा/मऊगंज के पत्र क्रमांक/307/खनिज/2024 दिनांक 20.11. 2024 से सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसकी	

win

Office mame date 02 04 2024 al

अवधि 31.01.2026 तक वैध है।

4	Details of mineral evacuation plan and how the requirements of electricity and water will be met shall be submitted. The detail of additional forest land (if any)	आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया गया है कि खनिज निकासी का कार्य यांत्रिकीय विधि से किया जावेगा, खनिज उत्खनन हेतु बिजली की
	submitted. The detail of additional forest land (if any)	जावेगा जानिज जनवज्ज देन विजनी की
		जायमा, खानज उत्खनन हेतु विजला का
	required for the purpose shall also be submitted.	आवश्यकता नगन्य है एवं पानी की पूर्ति हेतु टैंकर
		के माध्यम से की जावेगी। प्रस्तावित क्षेत्र के
		अतिरिक्त अन्य वनभूमि की आवश्यकता नहीं है।
5	The user agency in Part-I form reported that the Project	आवेदक संस्थान द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एव
	does not requires Clearance under the Environment	प्रदूषण से रोकथमन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के चारो
	(Protection) Act 1986 (Environmental clearance) whereas	तरफ 7.5 मीटर की चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट तैयार
	the instant project is for mining. A clarification in this regard	किया जावेगा, के.एम.एल. फाइल में उक्त क्षेत्र को
	needs submission.	दर्शाया गया है, एवं धूल की रोकथाम हेतु
		समय-समय पर पानी का छिड़काव टंकरों द्वारा
		किया जावेगा। साथ ही जल की निकाषी नहीं की
	* ************************************	जावेगी, जिस कारण से पर्यावरण (संरक्षण)
	200	अधिनियम 1986 के अंतर्गत अनुमति की
		आवश्यकता नहीं है।
6	The instant mine has been proposed to be worked upon by	आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना से निकला हुआ
0	mechanized mining with implementation of Open-cast	मलवा को निजी भूमि क्रय कर राजस्व क्षेत्र में डम्प
	technology. Therefore, the status of muck disposal plan	किया जावेगा। पस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त वनक्षेत्र
	shall be submitted along with relevant details.	को प्रभावित नहीं किया जावेगा।
7	Complete copy of an approved mining plan needs	स्वीकृति खनन योजना की प्रति संलग्न है।
,	submission. The State Govt. shall also ensure that the land-	प्रस्तावित क्षेत्र में खनन का कार्य माइनिंग प्लान
	use as proposed in the proposal shall invariably	अनुसार किया जावेगा, जिसके लिए आवेदक
. 33	commensurate with the land-use as given in the approved	संस्थान वचनबद्ध है।
	mining plan.	संस्थान प्रयमबद्ध है।
8	The State Govt. has not informed as to how much area of	आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया गया है कि वन
	the proposed NFL (village wise/ patch wise) for raising	(संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम -13
	compensatory afforestation is having specified density as	के अनुसार ग्राम हर्रईगुजरान में एक ही पैच में 4.
	per the Rule-13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan)	59 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है, जिसका घनत्व 0.2
	Rules, 2023. Moreover, the State shall also ensure that the	से 0.4 है एवं प्रभावित वनभूमि के बदले गैर
	area (NFL) proposed for CA is suitable for raising	वनभूमि एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना भी
	Compensatory Afforestation as per the provisions of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 and the crop	प्रस्तावित है।
	improvement programme of the forest crop in the NFL	
	proposed for CA shall be submitted.	
9	Para 2, Rule-13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan)	आवेदक संस्थान द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन)
7.	Rules, 2023 says that "Provided that in case the non-forest	नियम, 2023 के नियम -13 के पैरा 2 अनुसार
	land or portion thereof provided by the user agency is not	प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की
	fit for raising compensatory afforestation of a specified	जानकारी के.एम.एल फाइल, जियो रिफरेश सहित
91.9	density, then additional compensatory afforestation shall be	अभिलेख वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सागर द्वारा
	raised on a degraded notified or unclassed forest land under	तैयार कर अपलोड़ कर दी गई है। छायाप्रति
	the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory	संलग्न है, साथ ही वनमण्डलाधिकारी सिंगरौली
10 s	afforestation land and the user agency shall also bear the	द्वारा दोगुने बिगड़े वन की जानकारी तैयार कर
	additional cost on such account". Keeping this in view, the	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) वन
	KML file of the Degraded forest land which is twice in size of	भवन तुलसी नगर भोपाल की ओर प्रेषित की गई
	such shortfall in the compensatory afforestation land needs	है। छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार / राज्य
	to be submitted (if applicable) along with Maps, CA scheme,	सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित की जावेगी
	Site suitability certificate etc.	
10	Given the density of 0.4 of the proposed forest area of 4.59	शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्व है। वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के कक्ष क्रमांक
10	ha, number of project affected trees reported as 10 appears	
- 1	to have been estimated on lower side. The same needs to	पी. 334 में प्रस्तावित क्षेत्र 4.59 हेक्टेयर भूमि को
	be reconfirmed by the State. It may also be clarified	मौके से जाकर गणना की गई है, गणना पत्रक
	whether the tree enumerations have been done as per	अनुसार 10 नग वृक्ष एवं 81 नग बांस भिर्रा मौके
	actual standing trees on ground or through sampling	पर मौजूद है। मौका पंचनामा की प्रति संलग्न है।
	method or by adopting any other method.	
11.	The State Govt. in the Part-II form reported that the	प्रस्तावित क्षेत्र चट्टानी क्षेत्र है। चट्टानी क्षेत्र होने
	proposed forest land is not prone to soil erosion whereas as	के कारण मिट्टी का कटाव होना असम्भव है।
	destated above to a reconstruction of	
	depicted through satellite imagery the lease is situated at	इसके उपरांत भी आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित
	hilly terrain. Therefore, factual details in this record acade	इसके उपरांत भी आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के चारो तरफ 7.5 मीटर की चौड़ाई में ग्रीन

	Treatment Plan duly approved by the DCF concerned to choke the soil erosion.	बेल्ट तैयार किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपचार योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
12	The forest land proposed for diversion is located in Rewa District whereas the land proposed CA has been proposed in the Sagar and Singrauli District. Thus, the land for diversion is situated at an aerial distance of approximately 70 Km away from the land for CA. The State Govt. shall ensure that the Para 2.2 (xiii) of Chapter-2 given in the consolidated Handbook of Guidelines issued under the Van (Sanrakshan Evam Samvardha) Rules-2023 has been followed while selecting the land proposed for CA.	आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया गया है कि भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि वनमण्डल दक्षिण सागर एवं डबल डिग्रेटेड वनमण्डल सिंगरौली में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है।
13	The KML files indicating the different components of the projects like safety zone/ Green belt, Infrastructure, OB dump etc shall be submitted along with land use map. The component wise details of the proposed forest land shall also be updated on the PARIVESH portal.	आवेदक संस्थान द्वारा सेफ्टी जोन / ग्रीन बेल्ट 7.5 मीटर प्रस्तावित क्षेत्र के चारों तरफ तैयार किया जाएगा, जिसे के.एम.एल. फाइल में दर्शाया गया है। (मानचित्र की छायाप्रति संलग्न है) जैसी , बुनियादी ढांचे संबंधी जानकारी ऑन लाइन परिवेश पोर्टल में दर्ज कर दी गई है।
14	DSS analysis revealed that the user agency has uploaded incorrect KML file of the Non-forest land proposed for CA because the part of the proposed CA land is partly falling in forest compartment.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित गैर वनभूमि की संशोधित के.एम.एल. फाइल ऑनलाइन परिवेश पोर्टल में अपलोड़ कर दी गई है।
15	The CF, Rewa circle while approving the CA scheme reported that against diversion of 11.26 ha forest land for mining in three leases of same user agency, the State govt. has only proposed 8 ha forest land for CA. This needs clarification along with complete copy of CA scheme. The State Govt. shall also ensure that the proposed CA shall be in proportionate to the forest land for diversion.	आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना में प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि दक्षिण सागर में प्रदाय की गई है, जिसकी जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड़ है। साथ ही वनमण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा दोगुने बिगड़े वन की जानकारी तैयार कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध) वन भवन तुलसी नगर भोपाल की ओर प्रेषित की गई है। छायाप्रति संलग्न है। गैर वनभूमि एवं प्रभावित वनभूमि अनुपात में है।
16	The CF, Rewa circle while approving the CA scheme reported that the instant proposal is for establishment of crushing plant instead of mining. This needs clarification. The State shall also ensure that the forest land cannot be diverted for any non-site specific activities.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रमाणित किया गया है कि प्रस्तावित वनभूमि में खनन का कार्य किया जावेगा, अन्य कोई गतिविधि नहीं की जावेगी, जिसके पालन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्व है।

अतः प्रतिवेदन श्रीमान जी की ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुशंसा

सहित सादर सम्प्रेषित है। संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(लोकेश निरापुरे भा.व.से.) वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रीवा (म.प्र

पृष्ठा.क्र./मा.चि./446\$

रीवा, दिनांक / र्.......05.2025

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

> वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रीवा (म.प्र.)